01.12.2022

छत्तीसगढ़ विधान सभा

दिसम्बर, 2022 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 2 दिसम्बर, 2022 (अग्रहायण 11,1944)

समय 11:00 बजे दिन

1. जुलाई, 2022 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

2. नियम 267–क के अधीन जुलाई, 2022 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

3. कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति

4. सभापति तालिका की घोषणा

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री अजय चंद्राकर, सभापति, लोक लेखा समिति का इक्यानबेवां से एक सौ एकवां तक 11 प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

6. वित्तीय वर्ष 2022–2023 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, वित्तीय वर्ष 2022–2023 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे।

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक,2022 (क्रमांक 18 सन् 2022) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 19 सन् 2022) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

क्रमशः 2

निर्धारित समय

8. वित्तीय वर्ष 2022–2023 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

3 घंटे दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या – 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 51, 54, 55, 56, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 79 एवं 81 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर **चार हजार तीन सौ सैंतीस करोड़, पचहत्तर लाख, तिरानवे हजार, आठ सौ बत्तीस रूपये** की अनुपूरक राशि दी जाये।

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक–4) विधेयक, 2022 (क्रमांक 20 सन् 2022) का पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

2 घंटे (2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि–छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक,2022 (क्रमांक 18 सन् 2022) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

1 घंटा (3) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि–छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक,2022 (क्रमांक 19 सन् 2022) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

10. शासकीय संकल्प

1 घंटा श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री,निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

''यह सदन राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों के रक्षण के लिये पारित छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधित) विधेयक, 2022 को संविधान की अनुसूची–9 में सम्मिलित करने के लिये भारत सरकार को आवश्यक कदम उठाने हेतु अनुरोध करता है।''

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर,
दिनांक 1 दिसम्बर, 2022